न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(आर.सी.ढेनवाल,आईएएस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 59/2018

प्रविष्टि दिनांक 01–11–2018

बाबू पुत्र मोडू मीना निवासी सहादतनगर, तह0 उनियारा जिला टोंक राज0

–अपीलान्ट

वनाम

तहसीलदार उनियारा मु0 अलीगढ़ जिला–टोंक राजस्थान

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार उनियारा दिनांक 11.09.2018 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री गजेन्द्र शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट

(2) श्री जुगनु शर्मा, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक 10–1–2019

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा ने अपने आदेश दिनांक 11.09.2018 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 361,362 वाके ग्राम सहादतनगर के 0.02 रकबे पर तारबंदी कर बाड़ा बना कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 3 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार उनियारा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की वहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट नहीं मंगवाई और न ही मौके का निरीक्षण किया। इस कारण निर्णय एक पक्षीय होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को पूर्व में किसी भी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। ओर न ही अपीलान्ट की प्रोपर तामील करवाई है। निर्णय एक पक्षीय पारित किया गया है। पटवारी हल्का की साक्ष्य भी लेखबद्ध नहीं करवाई है ओर न ही पटवारी हल्का साक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ है। पटवारी हल्का द्वारा किस तारीख को रिपोर्ट तैयार की, उक्त तारीख का अंकन भी नही है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। अपीलान्ट द्वारा किसी भी चरागाह भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है ओर न ही अपीलान्ट का किसी चरागाह भूमि से कोई सम्बन्ध है। अत:: अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुए है। अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है जिसमें अकिंत किया है कि उक्त भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया है। अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व गत वर्ष में भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली संख्या 35/2017 से बेदखल किया गया है। अतिक्रमी भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है,उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्व है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर अपने बचाव पक्ष मे साक्ष्य सवूत पेश करना चाहिए था। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 361,362 वाके ग्राम सहादतनगर के 0.02 रकबे पर कब्जा कर व तारबंदी कर अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्व है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व गत वर्ष में भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली संख्या 35 निर्णय दिनांक 29–8–2017 से वेदखल किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य सवूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किये गये कब्जा छोड़ने वावत शपथ पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार उनियारा से मौका रिपोर्ट तलव की गई। तहसीलदार उनियारा ने पत्र क्रमांक 9 दिनांक 8–1–2019 से अवगत करवाया है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर से कब्जा नहीं हटाया है। विवादित भूमि चरागाह भूमि है जो सार्वजनिक उपयोग एवं हित की भूमि है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.09.2018 को यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10–1–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आर.सी.ढेनवाल)
जिला कलेक्टर, टोक

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner